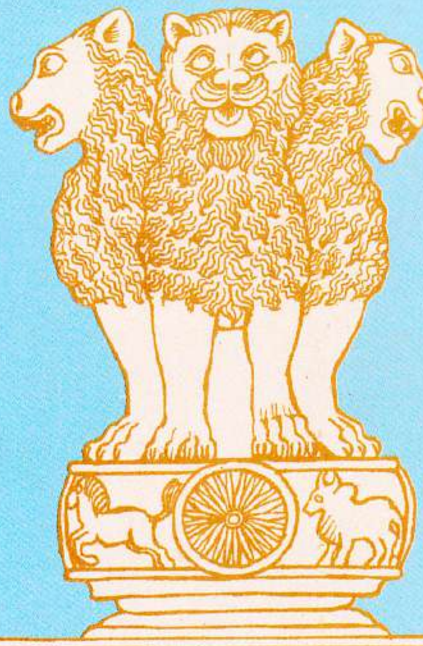

हमारे संविधान में
मूल अधिकार और कर्त्तव्य

एकलव्य का प्रकाशन

हमारे
संविधान
में
मूल अधिकार व कर्त्तव्य

सामाजिक अध्ययन

एकलव्य का प्रकाशन

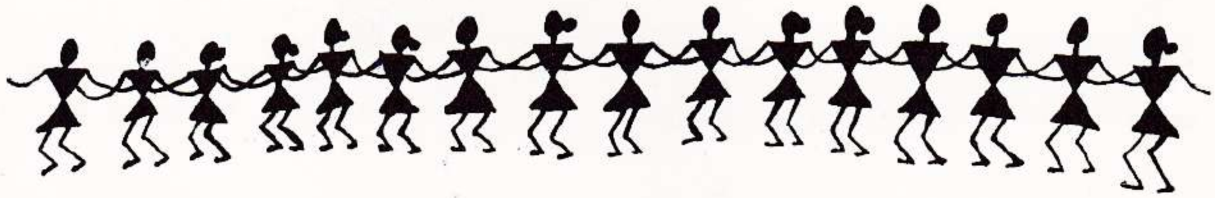

हमारे संविधान में मूल अधिकार और कर्त्तव्य

एकलव्य के सामाजिक अध्ययन कार्यक्रम के तहत विकसित नागरिक शास्त्र की पुस्तिका

चित्रांकन व ले-आउट - **कैरन हेडॉक**

जुलाई 2005/ 3000 प्रतियाँ

80gsm मेपलिथो और 170gsm आर्ट कार्ड (कवर) पर प्रकाशित

ISBN : 81-87171-61-8

मूल्य : 16.00 रुपए

प्रकाशक : **एकलव्य**

ई-7/453 HIG अरेरा कॉलोनी

भोपाल 462 016 (म.प्र.)

फोन : 0755 - 246 3380

फैक्स : 0755 - 246 1703

email : eklavyamp@mantrafreenet.com

प्रकाशक : राजकमल ऑफसेट प्रिंटर्स, भोपाल, फोन 268 7589

अध्याय 1

संविधान और मूल अधिकार व कर्त्तव्य (भाग - 1)

संविधान सभा

तुमने इतिहास में पढ़ा होगा कि भारत के लोग किस प्रकार अंग्रेज़ी शासन के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। वे चाहते थे कि अंग्रेज़ भारत छोड़कर चले जाएँ। वे चाहते थे कि भारत एक आज़ाद देश बने।

यह पता लगाओ कि ब्रिटिश जिस प्रकार भारत पर शासन कर रहे थे, उसे लेकर भारतीयों के मन में क्या असंतोष थे।

"आधी रात के घण्टे के साथ, जब सारी दुनिया सो रही होगी, तब भारत जागेगा - जीवन और आज़ादी की ओर।" जवाहरलाल नेहरू ने इन शब्दों के साथ 14 अगस्त 1947 की रात संविधान सभा के मध्यरात्रि सत्र को सम्बोधित किया था।

आज़ादी की इस लड़ाई के साथ-साथ लोग एक और सवाल पर भी चर्चा कर रहे थे। यह सवाल था कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद शासन का स्वरूप क्या होना चाहिए? क्या हमें राजाओं के शासन को अपना लेना चाहिए जैसा कि कुछ शासक सुझा रहे हैं?

ज़्यादातर लोग इस बात से सहमत थे कि लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन होना चाहिए। पर यह शासन किस प्रकार का हो, इस बारे में लोगों के मत अलग-अलग थे। कुछ लोग सोचते थे कि ज़्यादातर अधिकार पंचायतों के पास होने चाहिए। दूसरे लोग यह मानते थे कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पास ज़्यादा अधिकार होने चाहिए। क्या हमारे यहाँ चुनाव होना चाहिए? क्या हमारे यहाँ हरेक के लिए समान नियम होने चाहिए? हम कर (टैक्स) कैसे इकट्ठा करें? हम अपने देश के हरेक इन्सान के लिए किस प्रकार का जीवन चाहते हैं? इन सवालों पर फैसला करने के लिए और अपने देश का भविष्य तय करने के लिए कुछ लोगों के एक समूह का चुनाव किया गया। इसे संविधान सभा कहा गया। संविधान सभा का काम था संविधान लिखना। **संविधान वह दस्तावेज़ है जिसमें वे बुनियादी कानून और सिद्धान्त होते हैं जिनके द्वारा देश का शासन किया जाता है।** संविधान सभा में देश के सभी भागों से 299 सदस्य थे। कुछ लोगों के नाम तुमने सुने होंगे, जैसे सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, एच.वी. कामथ। सभा ने संविधान में रखे जाने वाले हर बिन्दु पर विस्तार से चर्चा की। यह चर्चा तीन साल तक चली।

राजेन्द्र प्रसाद

क्या तुम यह जानना चाहोगे कि संविधान सभा के लागों ने यह कैसे तय किया कि संविधान में क्या होना चाहिए? और इसमें इतना लम्बा समय क्यों लगा? नीचे दिए गए उदाहरण से तुम्हें इस चर्चा का कुछ परिचय मिलेगा। संविधान सभा में विभिन्न विषयों पर काम करने के लिए कई समितियाँ बनाई गईं थीं। एक समिति ने मूल अधिकारों के बारे में एक रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट पर जो चर्चा हुई वह हमें एक ग्रंथ में पढ़ने को मिलती है। ग्रंथ का नाम है "भारत की संविधान सभा" (खण्ड तीन)। इस ग्रंथ का एक हिस्सा तुम यहाँ पढ़ सकते हो।

मंगलवार, 29 अप्रैल, 1947

भारत की संविधान सभा की बैठक साढ़े आठ बजे नई दिल्ली के संविधान सभागृह में हुई।

माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने बैठक की अध्यक्षता की।

माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल : समिति में दो विचारधाराएँ थीं और बड़ी तादाद में बहुत विख्यात वकील थे जो बहुत बारीकी से हर वाक्य के हर शब्द, यहाँ तक कि विराम और अर्द्धविराम की जाँच कर सकते थे। ये दोनों विचारधाराएँ अलग-अलग दो दृष्टिकोणों से मामले को देखती थीं। एक विचारधारा यह मानती थी कि अधिकारों के इस प्रतिवेदन में जितने सम्भव हों उतने अधिकार शामिल करना चाहिए, जो अदालत में सीधे लागू किए जा सकें। इन अधिकारों को लेकर कोई भी नागरिक बिना किसी कठिनाई के सीधे अदालत जा सके और अपने अधिकार प्राप्त कर सके। दूसरी विचारधारा का मत था कि मूल अधिकारों को कुछ ऐसी बहुत अनिवार्य बातों तक सीमित रखा जाना चाहिए जिन्हें आधारभूत माना जा सके। दोनों विचारधाराओं में काफी बहस हुई और अन्त में एक बीच का रास्ता निकाला गया, जिसे बहुत अच्छा मध्यम मार्ग माना गया। . . . दोनों विचारधाराओं के लोगों ने . . . सिर्फ एक देश के मूल अधिकारों का अध्ययन नहीं किया बल्कि दुनिया के लगभग हर देश के मूल अधिकारों का अध्ययन किया। वे इस नतीजे पर पहुँचे कि हमें इस प्रतिवेदन में जहाँ तक सम्भव हो उन अधिकारों को शामिल करना चाहिए जिन्हें उचित माना जा सके। उस पर इस सदन में मतभेद हो सकता है और इस सदन को हर धारा पर आलोचनात्मक तरीके से विचार करने, विकल्प सुझाने, संशोधन और निरस्त करने के सुझाव देने का अधिकार है. . .

श्री प्रमथ रंजन ठाकुर : महोदय. . . (अ) मैं जिस बिन्दु का उल्लेख करना चाहता हूँ उसका सम्बंध धारा 6 से है जो 'अस्पृश्यता' से सम्बंधित है, जिसमें कहा गया है कि :

"अस्पृश्यता का, चाहे वह किसी भी रूप में हो, उन्मूलन किया जाता है और यदि सिर्फ उस कारण से किसी को अयोग्य ठहराया जाता है तो वह अपराध माना जाएगा।"

मैं नहीं समझता कि जाति प्रथा को खत्म किए बिना आप अस्पृश्यता का उन्मूलन कर सकते हैं। अस्पृश्यता जाति प्रथा नामक रोग का चिह्न होने के सिवाय कुछ नहीं है. . . जब तक हम जाति प्रथा को पूरी तरह से खत्म नहीं करेंगे, तब तक सतही तौर से अस्पृश्यता की समस्या पर रोक लगाने का कोई उपयोग नहीं है।

एस. सी. बनर्जी : अध्यक्ष महोदय, असल में 'अस्पृश्यता' शब्द को स्पष्ट करने की ज़रूरत है। हम इस शब्द से पिछले 25 सालों से परिचित हैं, फिर भी अभी तक इस शब्द के अर्थ को लेकर बहुत भ्रम हैं। कभी-कभी इसका मतलब एक गिलास पानी लेना भर है और कभी-कभी इसका उपयोग 'हरिजनों' को मन्दिरों में प्रवेश देने के अर्थ में किया गया है। कभी-कभी इसका मतलब अन्तर्जातीय भोजन व अन्तर्जातीय विवाह से लिया गया है। 'अस्पृश्यता हटाने' के मुख्य प्रवक्ता महात्मा गाँधी ने इसे दूर करने का इस्तेमाल कई तरह से किया है और अलग-अलग अवसरों पर अलग-अलग संदर्भों में किया है, जिससे इस शब्द के अर्थ भी बदलते रहे हैं। इसलिए जब हम 'अस्पृश्यता' शब्द का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो हमारे दिमाग में यह बात साफ होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है। इस शब्द से वास्तव में क्या अर्थ निकलता है?

मेरा ख्याल है कि हमें अस्पृश्यता और जाति भेद के बीच फर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि श्री ठाकुर ने कहा है, अस्पृश्यता सिर्फ एक लक्षण है, मूल कारण जाति भेद है और जब तक इसके मूल कारण जाति भेद को नहीं हटाया जाता, अस्पृश्यता किसी न किसी रूप में मौजूद रहेगी। और जब हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा, तो हमें इस बात की अपेक्षा करनी चाहिए कि हर व्यक्ति को समान सामाजिक परिस्थितियाँ उपलब्ध हो सकें।

श्रीयुत रोहिणी कुमार चौधरी : . . . अस्पृश्यता की परिभाषा के लिए, यह बात स्पष्ट रूप से कही जा सकती है कि 'अस्पृश्यता' का मतलब है धर्म, जाति या जीवनयापन के लिए कानून द्वारा स्वीकार किए गए धन्धों को लेकर भेदभाव प्रकट करने वाला कोई काम. . . .

श्री के. एम. मुन्शी : महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूँ। परिभाषा को इस तरह के शब्दों में लिखा गया है कि यदि इसे मंज़ूर कर लिया गया, तो यह जन्म स्थान या 'जाति', यहाँ तक कि 'लिंग' के आधार पर किसी भी भेदभाव को 'अस्पृश्यता' बना देगा।

श्री धीरेन्द्र नाथ दत्त : महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि चाहे श्री रोहिणी कुमार चौधरी द्वारा सुझाई गई परिभाषा को स्वीकार किया जाए या नहीं, यह ज़रूरी है कि कोई न कोई परिभाषा तो होनी ही चाहिए। यहाँ यह कहा जा रहा है कि 'अस्पृश्यता' किसी भी रूप में अपराध है। अस्पृश्यता के मामलों की सुनवाई करने वाले दण्डाधिकारियों या न्यायाधीशों को परिभाषा देखनी होगी। एक दण्डाधिकारी किसी खास बात को अस्पृश्यता मानेगा, जबकि दूसरा मजिस्ट्रेट किसी और बात को अस्पृश्यता मानेगा। इसका परिणाम यह होगा कि अपराधों का फैसला करने में दण्डाधिकारियों की कार्यवाहियों में समानता नहीं होगी। तब न्यायाधीशों के लिए मामलों का फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।

इसके अलावा, अस्पृश्यता का मतलब अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग होता है। बंगाल में अस्पृश्यता का मतलब कुछ और है, जबकि दूसरे प्रान्तों में उसका मतलब एकदम अलग होता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं सदन का ध्यान धारा 24 की ओर दिलाना चाहता हूँ जिसमें कहा गया है . . . (कि) संघीय विधायिका इस खण्ड के उन हिस्सों के बारे में कानून बनाएगी, जिनके लिए ऐसे कानून की ज़रूरत है . . . (इसलिए) मैं यह मानता हूँ कि संघीय विधायिका 'अस्पृश्यता' शब्द की परिभाषा करेगी जिससे अदालतें उचित दण्ड दे सकें।

(इस प्रकार अस्पृश्यता की परिभाषा करने का काम भविष्य के कानून बनाने वालों पर छोड़ दिया गया।)

सरदार पटेल

अन्त में, भारत के सभी लोगों की तरफ से संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा संविधान स्वीकार कर लिया गया।

भारत का संविधान

संविधान में बताया गया है कि कैसे भारत को विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में बाँटा गया। दोनों स्तरों पर सरकारें हैं। एक तो पूरे देश के लिए केन्द्रीय सरकार (दिल्ली में), और दूसरी हर राज्य व केन्द्र शासित प्रदेश में है।

ऐसा इसलिए किया गया कि संविधान सभा के सदस्यों ने महसूस किया कि भारत एक विशाल देश है और केन्द्र की एक सरकार सभी लोगों और सभी क्षेत्रों की समस्याओं का हल नहीं कर पाएगी और सभी लोगों के हितों को नहीं देख पाएगी।

इसलिए संविधान केन्द्र की सरकार और राज्य स्तर की सरकारों के अधिकार क्षेत्रों का स्पष्ट उल्लेख करता है।

संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए जवाहरलाल नेहरू

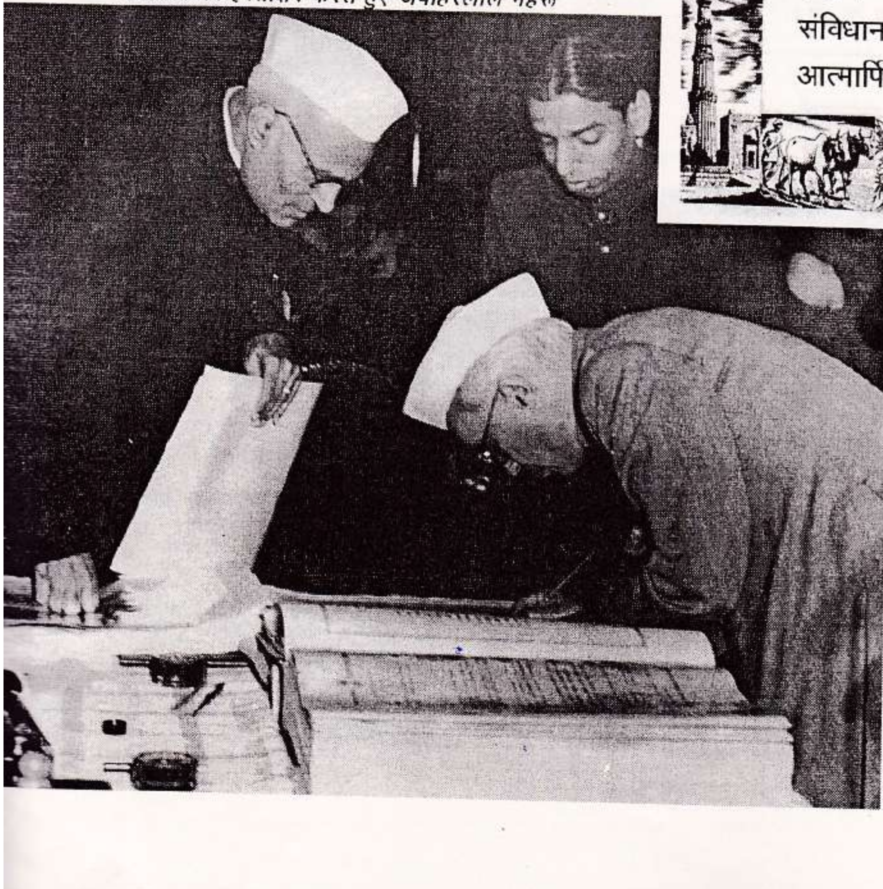

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक **सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए,
तथा उसके समस्त नागरिकों को :
सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय**,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की **स्वतंत्रता**,
प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**
प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता
और अखंडता सुनिश्चित करने वाली **बंधुता**
बढ़ाने के लिए
दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हज़ार छह विक्रमी) को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

ऊपर संविधान की उद्देशिका दी गई है। इसमें उसके उद्देश्य व मूल्यों का उल्लेख है। अगर तुम्हे कोई शब्द समझ न आए तो परेशान मत होना। हम इन पर आगे चर्चा करेंगे।

गणतंत्र दिवस

संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से यह दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।

लोकतंत्र में लोगों को सरकार बनाने और उसे बदलने का अधिकार है। इस प्रकार भारत के हर वयस्क नागरिक को मतदान का समान अधिकार है। कोई व्यक्ति चाहे धनवान हो या गरीब, या किसी खास सामाजिक पृष्ठभूमि का हो, कोई अन्तर नहीं पड़ता। आज़ादी की लड़ाई में इस विचार पर ज़ोर दिया गया था कि सभी लोग समान हैं।

लोकतंत्र दो शब्दों को जोड़कर बना है। **लोक** यानी लोग, **तंत्र** यानी शासन। अर्थात लोगों का शासन।

इस प्रकार संविधान कहता है कि भारत में सरकारों का गठन चुनाव के द्वारा होना चाहिए। चुनावों के माध्यम से लोगों को शासन चलाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनना चाहिए। ये चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धान्त के आधार पर करवाए जाते हैं।

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार

मताधिकार का मतलब है मत देने का अधिकार। **सार्वभौमिक** का मतलब जो पूरी भूमि पर फैला हो। यहाँ आशय यह है कि मताधिकार भारत भूमि के सभी वयस्कों को प्राप्त है। यानी उन सभी लोगों को जो 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हों।

डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने संविधान लिखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस चित्र में डॉ. अंबेडकर दलित महिलाओं और बच्चों के साथ दिख रहे हैं।

भारत के सभी लागों को संविधान का पालन करना चाहिए। लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून से ऊपर नहीं समझा जाना चाहिए, चाहे वह व्यक्ति कितना भी बड़ा या महत्वपूर्ण हो। इसलिए, चाहे प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति हो या अन्य कोई ऊँचा अधिकारी हो, उन सबको कानूनों का पालन करना होगा। उन्हें यह भी पक्का करना होगा कि इन कानूनों का पालन सभी के द्वारा किया जाए। संविधान विस्तार से यह बताता है कि इन अधिकारियों को किस प्रकार काम करना चाहिए।

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए सभी कानूनों के लिए संविधान में मार्गदर्शक नियमों और सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया है। सभी कानूनों को संविधान के अनुरूप होना चाहिए।

हमारा संविधान बहुत लम्बा है। इसमें 395 अनुच्छेद हैं जिन्हें 22 खण्डों में बाँटा गया है। मुख्य खण्डों में मूल अधिकारों और मूल कर्त्तव्यों, न्यायपालिका (अदालतों), चुनावों, नागरिकता, सरकारी भाषाओं, वित्त और व्यापार आदि के बारे में चर्चा की गई है। इसमें यह भी बताया गया है कि खुद संविधान में बदलाव (संशोधन) कैसे किया जा सकता है।

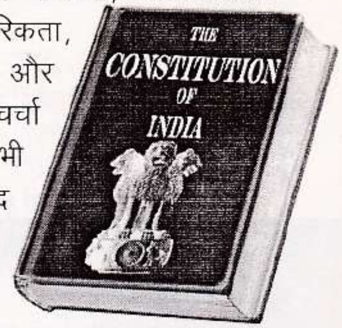

मूल अधिकार

संविधान का तीसरा भाग बहुत महत्व का है क्योंकि इसमें हमारे मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन न हो।

अगर तुम ऐसा महसूस करते हो कि किसी व्यक्ति, किसी संगठन या सरकार ने तुम्हारे मूल अधिकारों का हनन किया है, तो तुम उनके खिलाफ उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकते हो। तुम सरकार पर यह आरोप लगा सकते हो कि वह तुम्हारे मूल अधिकारों की रक्षा करने में असफल रही है।

ये अधिकार कई कानूनों का आधार हैं। यदि कभी कोई महसूस करता है कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार ने ऐसा कानून पास कर दिया है जो संविधान में दिए गए मूल अधिकारों के खिलाफ है, तब वह सरकार के खिलाफ उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकता है। तब अदालत यह तय करेगी कि वह कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं।

संविधान ने मूल अधिकारों को 6 भागों में बाँटा है। आइए हम उनमें से हरेक का अध्ययन करें।

दिल्ली में स्थित सर्वोच्च न्यायालय

1. "समता का अधिकार"

संविधान कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति कानून के सामने समान है और कानून किसी भी व्यक्ति को संरक्षण देने से मना नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि कानून समान रूप से सभी पर लागू होंगे, चाहे किसी की आय, दर्जा, पृष्ठभूमि कुछ भी हो।

उदाहरण के लिए - यदि किसी अधिकारी को किसी अपराध का दोषी पाया गया तो उसे वही दण्ड मिलना चाहिए जो किसी भी अन्य व्यक्ति को मिलता। कोई भी व्यक्ति अपने दर्जे या पृष्ठभूमि के कारण विशेष व्यवहार का दावा नहीं कर सकता।

संविधान यह भी कहता है कि हमें "धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान" के कारण किसी के प्रति पक्षपात का बर्ताव नहीं करना चाहिए। यह भी विशेष तौर से कहा गया है कि किसी को भी सार्वजनिक स्थानों, जैसे "दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश" से नहीं रोका जाना चाहिए। इसके अलावा सार्वजनिक कुओं, तालाबों, स्नान के घाटों का इस्तेमाल करने व उपासना के सार्वजनिक स्थानों में प्रार्थना करने से किसी को भी रोका नहीं जाना चाहिए।

कानून के आगे सब बराबर हैं

संविधान में साफ तौर पर कहा गया है कि रोज़गार से सम्बंधित मामलों में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलना चाहिए। धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। मिसाल के लिए - लड़कियों को हवाई जहाज़ उड़ाने का प्रशिक्षण लेने से रोका नहीं जा सकता। तब भी नहीं जबकि कुछ हवाई कम्पनियों के मालिक यह महसूस करते हों कि लड़कियाँ पायलट की नौकरी के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "अस्पृश्यता' का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में" माना जाना प्रतिबंधित है।

यहाँ समता के कौन से अधिकारों पर चर्चा की गई है? संविधान की उद्देशिका में समता के बारे में क्या कहा गया है?

नीचे लिखी बातों में से कौन-कौन सी बातें समता के अधिकार का हनन हैं? चर्चा करो। यह भी चर्चा करो कि ये क्यों मानी जाती हैं -

- *कुछ घरों में कुछ खास समुदायों के लोगों के लिए अलग से बर्तन रखे जाते हैं।*
- *सार्वजनिक स्त्रोत से पानी भरते समय कुछ लोग अपना बर्तन दूसरे के बर्तन से छू जाने पर एतराज़ करते हैं।*
- *कुछ गाँवों में कुछ समुदायों के लोग गाँव की मुख्य सड़कों से बारात नहीं निकाल सकते।*
- *अगर आप किराए पर मकान लेना चाहते हैं तो मकान मालिक आपकी जाति और धर्म जानना चाहता है।*
- *कुछ समुदायों को गाँव के भीतर नहीं बल्कि गाँव के बाहर घर बनाने को कहा जाता है।*
- *कुछ स्कूलों में, कुछ बच्चों को पानी पिलाने का काम नहीं दिया जाता क्योंकि वे एक खास जाति के होते हैं।*
- *कुछ समुदायों के सदस्य कई पूजास्थलों पर इसलिए नहीं जाते क्योंकि उन्हें डर है कि उनके साथ खराब व्यवहार किया जाएगा या उन्हें मारा पीटा जाएगा।*

दलित विद्यार्थियों को अक्सर जिस गहरे भेदभाव का सामना करना पड़ता है, उसका एक वास्तविक उदाहरण नीचे दिया गया है।

नौकरी पाना

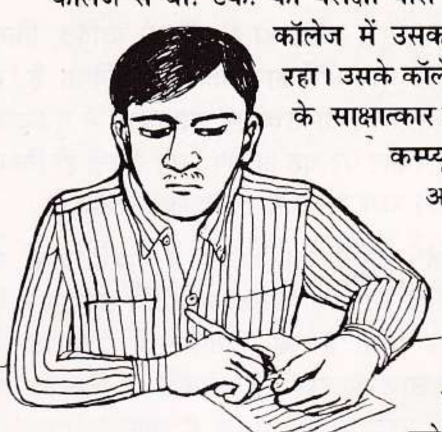

मनोहरलाल के बेटे ने हाल ही में कुरुक्षेत्र क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग कॉलेज से बी. टेक. की परीक्षा पास की और उसके कॉलेज में उसका छठवाँ स्थान रहा। उसके कॉलेज में विद्यार्थियों के साक्षात्कार लेने के लिए कई कम्प्यूटर कम्पनियाँ आईं और उसने कई नौकरियों के लिए आवेदन किया। पर किसी भी नौकरी के लिए उसे नहीं चुना गया। दूसरी तरफ उसके कई साथी, जिनके अंक उससे कम थे, आसानी से चुन लिए गए। मनोहरलाल ने अपने बेटे का बायोडाटा देखा। उसमें तो अंक बढ़िया बताए गए थे। कुछ सोच-विचार के बाद मनोहरलाल ने अपने बेटे को अनुसूचित जाति का उल्लेख न करने की सलाह दी। उसके बेटे ने यह बदलाव करके नए बायोडाटा के साथ दूसरी कम्पनियों को अपना आवेदन भेजा। इस बार उसका साक्षात्कार लेने वाली कई कम्पनियों ने उसे नौकरी देने की पेशकश की!

(स्त्रोतः भोपाल दस्तावेज़, म. प्र. शासन)

आरक्षण

संविधान जाति के आधार पर भेदभाव को रोकने के प्रयास क्यों करता है? क्योंकि लोगों की क्षमताएँ और गुण जाति के आधार पर निर्धारित नहीं होते हैं। दलित परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे और किसी दूसरे परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे में कोई फर्क नहीं होता। इसलिए दोनों को ही एक बेहतर ज़िन्दगी जीने का बराबर मौका मिलना चाहिए। संविधान इसी अधिकार को सुनिश्चित करता है।

दलित

यह पहचानना ज़रूरी है कि कौन-सी जातियों और जनजातियों के साथ भेदभाव होता है, ताकि उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके। संविधान में ऐसे समूहों के नामों की एक विशेष सूची दी गई है। इस सूची में जिन जातियों और जनजातियों को शामिल किया गया है वे "अनुसूचित जाति" व "अनुसूचित जनजाति" कहलाती हैं। (इन्हें "दलित" भी कहते हैं।)

लेकिन, संविधान द्वारा इन अधिकारों की गारण्टी दिए जाने के बहुत साल बाद भी, अभी भी, जाति के आधार पर बहुत भेदभाव किया जाता है। उदाहरण के लिए, ज़्यादातर दलित बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती।

आरक्षण की व्यवस्था इसलिए की गई है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को वे ही अवसर मिलें जो दूसरों के लिए हैं। बिना आरक्षण के उन्हें कुछ खास प्रकार की नौकरियाँ मिलने का कोई मौका नहीं मिलता। इस प्रकार, आरक्षण अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को दूसरों के बनिस्बत फायदा नहीं देता - वह तो सिर्फ एक नुकसान को हटाता है।

लेकिन, आरक्षण के कानून हमेशा लागू नहीं किए जाते। भेदभाव कायम है। उदाहरण के लिए, भारत की कुल आबादी का 24 प्रतिशत भाग अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का है। परन्तु सरकार की बढ़िया नौकरियों में सिर्फ 13 प्रतिशत और सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों में सिर्फ 2 प्रतिशत लोग ही अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से हैं।

2. "स्वातंत्र्य - अधिकार"

संविधान में कई प्रकार की बातों का उल्लेख है जिन्हें करने के लिए हम व्यक्ति के रूप में "स्वतंत्र" हैं। इसका मतलब यह है कि इन स्वतंत्रताओं का उपयोग करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन, स्वतंत्रताओं के साथ कुछ बंधन भी हैं। हमसे कुछ बातें न करने की उम्मीद भी की जाती है। आइए हम कुछ ऐसी स्वतंत्रताओं और बंधनों की चर्चा करें।

"वाक्-स्वातंत्र्य (बोलने की स्वतंत्रता) और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार"

नागरिक अपने विचारों की अभिव्यक्ति कई प्रकार से करने के लिए स्वतंत्र हैं। जैसे सभाओं, प्रकाशनों, नाटकों और चित्रों आदि के ज़रिये। पर इन पर कुछ बंधन हैं। उदाहरण के लिए - एक कानून है कि सार्वजनिक रूप से दूसरों को सरकार के खिलाफ विद्रोह करने को नहीं कह सकते। कानून सार्वजनिक रूप से दूसरों को बदनाम करने (किसी के बारे में झूठी या निम्न स्तर की बातें सार्वजनिक रूप से कहने, जिससे उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को आघात पहुँचता हो) से भी हमें रोकता है।

बिना शस्त्रों के शान्तिपूर्ण तरीके से एकत्र होने का अधिकार

कई उद्देश्यों के लिए लोगों को एकत्र होने का अधिकार है। जैसे अपने अधिकारों के बारे में सभा करने के लिए, अपने जीवन और काम की समस्याओं और मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, विचारों का आदान-प्रदान करने और एक-दूसरे के विचार जानने

एक बाँध के बनने के कारण अपने गाँव से विस्थापित होने से पहले किसी और जगह पुनर्वास की माँग को लेकर शान्तिपूर्ण जुलूस निकालते लोग

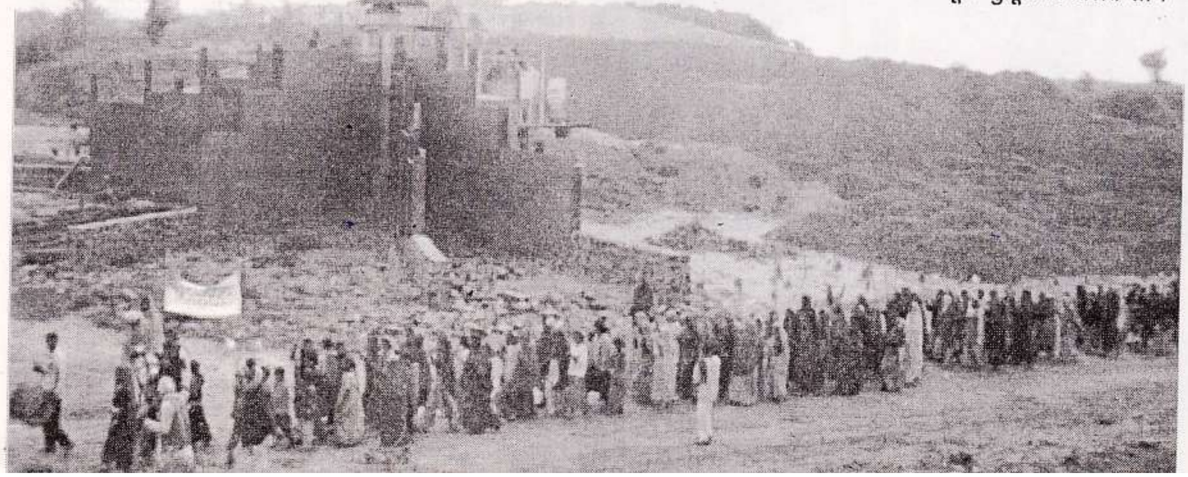

के लिए, आदि। हर व्यक्ति को प्रदर्शन करने, सार्वजनिक सभा करने और रैलियाँ निकालने का अधिकार है। लेकिन, इस अधिकार पर कुछ बंधन लगाए गए हैं - उदाहरण के लिए, कोई भी सभा शान्ति से और शस्त्रों के प्रदर्शन या उपयोग के बिना की जानी चाहिए। इसी प्रकार, जब भी कोई प्रदर्शन या रैली आयोजित की जाती है तो उसके लिए पहले से प्रशासन की अनुमति लेने की ज़रूरत होती है।

"संगम या संघ बनाने का अधिकार"

लोगों को कई प्रकार के संघ बनाने का अधिकार है - साँस्कृतिक समूह, व्यावसायिक संघ, ट्रेड यूनियन आदि। तुमने सुना होगा कि कई कारखानों में कामगारों की यूनियनें होती हैं। ये यूनियनें अपनी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए सभाएँ करती हैं। वे कारखाने के अधिकारियों के सामने माँगें रखती हैं और कभी-कभी कई यूनियनें कारखाने में हड़ताल भी करती हैं। इस प्रकार, यूनियनें कामगारों के अधिकारों की रक्षा करती हैं।

संघ बनाने के अधिकार के बावजूद, कई कारखानों के मालिक कामगारों को ऐसा नहीं करने देते। कुछ मामलों में वे कामगारों से एक बॉण्ड पर दस्तखत करा लेते हैं कि वे यूनियन में शामिल नहीं होंगे। उन्हें नौकरी से निकाले जाने का डर दिखाया जाता है। चूँकि हमारे देश में बहुत से लोग बेरोज़गार हैं या उन्हें पर्याप्त काम नहीं मिलता, इसलिए कारखाने की नियमित नौकरी को कोई नहीं खोना चाहेगा। इसलिए कई लोग अपनी स्वतंत्रता के इस हनन का विरोध नहीं करते।

तुम्हारे इलाके में कौन से संघ हैं?

कामगारों की यूनियनें क्यों बनती हैं? वे किन समस्याओं का सामना करती हैं?

भारत के किसी भी भाग में मुक्त रूप से भ्रमण करने का अधिकार

नागरिक देश के किसी भी भाग में आने-जाने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन इस पर सरकार कुछ बंधन लगा सकती है। उदाहरण के लिए, सरकार का ख्याल है कि दूसरे देशों की सीमाओं से लगे कुछ प्रदेशों में मुक्त आवाजाही से देश की सुरक्षा के लिए समस्या पैदा हो सकती है। ऐसी स्थिति में आवाजाही पर बंधन लगाया जा सकता है।

"भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार"

कोई भी भारतीय देश के किसी भी भाग में निवास कर सकता है या रोज़गार ढूँढ सकता है। आइए हम इस स्वतंत्रता से सम्बंधित एक मामले के बारे में पढ़ें।

क्या झुग्गी बस्तियाँ कानूनी हैं?

मुम्बई, कोलकाता और दिल्ली जैसे कई नगर हैं जहाँ दूर-दराज़ के गाँवों से बड़ी तादाद में लोग नौकरी की तलाश में आते हैं। उन्हें नौकरी सरलता से नहीं मिलती। जहाँ भी उन्हें काम मिलता है वे दिहाड़ी मज़दूरों के रूप में काम करते हैं। चूँकि उन्हें रहने के लिए उचित जगह नहीं मिलती, इसलिए वे सड़क के किनारे फुटपाथों पर या रेल्वे लाइन के पास रहते हैं।

अरवल, बिहार में खेत मज़दूरों की एक यूनियन की मीटिंग को सम्बोधित करती महिला कार्यकर्त्ता

मुम्बई में रेल पटरी के किनारे बसे घर

कई साल पहले, मुम्बई नगर निगम ने सड़क के किनारे फुटपाथों पर रहने वाले करीब 50 हज़ार लोगों को हटाने की कोशिश की। वे उनकी झुग्गियाँ नष्ट करने लगे। इस कार्यवाही के विरुद्ध 1982 में उच्चतम न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया गया। जब तक मामला लम्बित था तब तक इन लोगों को नहीं हटाया जा सका।

झुग्गी निवासियों के वकीलों ने दलील दी कि, "झुग्गी बस्ती में रहने वालों को उनके घरों से तब तक नहीं हटाया जाना चाहिए जब तक उन्हें रहने के लिए वैकल्पिक जगह नहीं दी जाती। निर्माण कार्य करने वाले बहुत से कामगार बाहर से नगर में आते हैं और मकान बनाने के लिए श्रम देते हैं। लोगों को रहने की जगह देने की ज़िम्मेदारी नगर निगम की है। चूँकि मुम्बई की लगभग आधी आबादी अवैध भूमि पर रहती है, इसलिए योजना बनाने वाले अधिकारियों की यह बहुत बड़ी असफलता है कि वे लोगों को उचित और वैध जगह नहीं दे पाए। अगर इन लोगों को फुटपाथों से ज़बर्दस्ती हटाया गया तो यह भारत के किसी भी स्थान में बसने की स्वतंत्रता के उनके मूल अधिकार का हनन है।"

1985 में उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में निर्णय दिया और कहा "... हमारा यह मत है कि फुटपाथ या सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आरक्षित या निश्चित किए गए स्थानों पर कोई ढाँचा खड़ा करके या वैसे ही अतिक्रमण करने का किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है।" लेकिन, उसने आगे सरकार को यह आदेश दिया कि जो लोग फुटपाथों पर लम्बे समय से रहते आए हैं उनके लिए वह उचित व्यवस्था करे और फुटपाथों पर बने उनके घरों को नष्ट करने के पहले उन्हें कहीं और बसाए।

लोग देश के विभिन्न भागों में जाकर क्यों रहना चाहते हैं?
शहर में काम कर रहे उन लोगों के प्रति जिनके पास रहने के लिए उचित जगह नहीं है, सरकार की क्या ज़िम्मेदारी है?
यदि शहरों में झुग्गी बस्तियाँ न होतीं, तो शहर में रहने वालों की ज़िन्दगी पर क्या असर होता?

कोई भी पेशा अपनाने या कोई भी धन्धा, व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता

सभी भारतीय नागरिकों को यह स्वतंत्रता है कि वे मनचाहा काम कर सकें। किसी भी व्यक्ति पर किसी के द्वारा कोई खास काम करने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता।

"कुछ दशाओं में गिरफ्तारी" और हिरासत में लिए जाने से "संरक्षण"

यदि पुलिस को लगता है कि किसी व्यक्ति ने गम्भीर अपराध किया है तो वह उस व्यक्ति को बन्दी बना सकती है। पर हर व्यक्ति को यह जानने का मूल अधिकार है कि उसे क्यों बन्दी बनाया जा रहा है और उसे 24 घण्टे के भीतर अदालत में पेश किया जाना चाहिए। पुलिस का यह कर्त्तव्य है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को उसके बन्दी बनाए जाने का कारण बताए, और अपने वकील से बातचीत करने का अवसर दे।

पुलिस और न्यायालय की भूमिका में क्या अंतर है?
गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घण्टे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना क्यों अनिवार्य है?

"शिक्षा का अधिकार"

संसद ने संविधान में एक नया बदलाव (संशोधन) पारित किया है - शिक्षा का मूल अधिकार। इसके तहत 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया है। अब सरकार के लिए यह ज़रूरी हो गया है कि वह स्कूलों की व्यवस्था करे और पालकों के लिए यह ज़रूरी हो गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके बच्चे नियमित रूप से स्कूल जा रहे हैं। यह मूल अधिकार इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि लोग महसूस करते हैं कि सभी बच्चों को पढ़ने, अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानने, खुद को अभिव्यक्त करने, विभिन्न कौशलों को हासिल करने और समाज को रचनात्मक योगदान देने का मौका मिलना चाहिए और अपने भविष्य के लिए उन्हें ज़्यादा अवसर मिलने चाहिए।

तुम्हारे इलाके में कितनी तरह के स्कूल हैं? इतने अलग-अलग प्रकार के स्कूल क्यों हैं?

क्या ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जाते ही नहीं? क्यों?

क्या सभी बच्चों को सभी स्कूल उपलब्ध हैं?

तुम्हारे इलाके में रहने वाले सभी बच्चों को क्या वास्तव में एक ही तरह की शिक्षा पाने का समान अवसर है? चर्चा करो।

"प्राण और दैहिक (शारीरिक) स्वतंत्रता का संरक्षण"

हर व्यक्ति को जीने और स्वतंत्र रहने का अधिकार है। इस अधिकार की संविधान में मूल अधिकार के रूप में गारण्टी दी गई है। सभी लोगों के जीवन को सुरक्षा देने की ज़िम्मेदारी सरकार की है। जब हमारा जीवन बाढ़, अकाल, किसी महामारी के फैलाव, या दंगे व डकैती जैसी स्थितियों में खतरे में पड़ जाता है, तो सरकार का काम सुरक्षा प्रदान करना है। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो हमें इसके खिलाफ अदालत में जाने का अधिकार है। जीवन की सुरक्षा के साथ ही हमें अपनी इच्छानुसार जीवन जीने का अधिकार है। यह दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन कानूनों के अनुसार, दैहिक स्वतंत्रता कभी-कभी छीनी भी जा सकती है। उदाहरण के लिए, किसी को बन्दी बनाकर, लोगों को जेल में बन्द करके, आदि। गम्भीर मामलों में, न्यायाधीश मत्युदण्ड की सज़ा देकर उस व्यक्ति के जीवन का अन्त भी कर सकता है, जिसने हत्या की है।

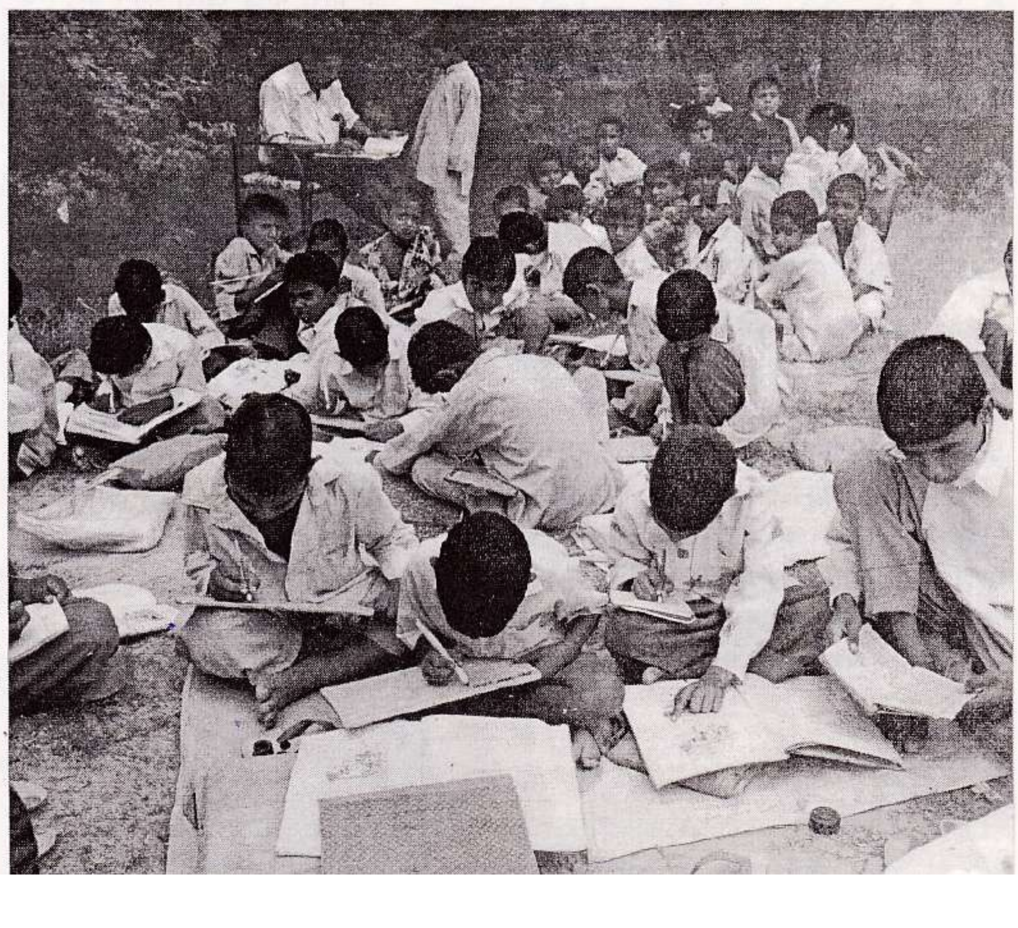

एक ग्रामीण स्कूल की यह कक्षा कमरों की कमी के कारण बाहर ली जा रही है

आइए हम एक ऐसे वास्तविक मामले के बारे में पढ़ें जहाँ इस अधिकार का उल्लंघन हुआ है।

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हनन के खिलाफ मामला

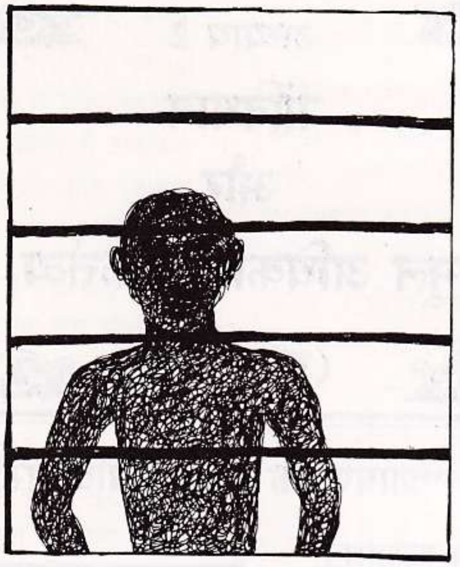

एक सत्र न्यायाधीश भोमा चरन ओरॉव नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा सुन रहे थे। यह सन्देह होने पर कि भोमा मानसिक बीमारी से पीड़ित है, उसे इलाज के लिए मानसिक चिकित्सालय में भेज दिया गया। मानसिक चिकित्सालय में भोमा के 6 माह रहने के बाद चिकित्सालय के अधीक्षक ने अदालत को सूचना भेजी कि भोमा की हालत सुधर गई है और उसे वहाँ से छुट्टी दी जा सकती है। पर न्यायाधीश ने उसे मुक्त करने के लिए ज़रूरी कदम नहीं उठाए। भोमा को उस मानसिक चिकित्सालय में 6 साल और रहना पड़ा।

भोमा के बारे में उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया। अदालत में यह साबित हो गया कि भोमा के जीवन जीने की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हुआ है। उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह भोमा को उचित मुआवज़ा दे। उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी कहा कि "ये सभी मुआवज़े वास्तव में भोमा के जीवन के वे छ: वर्ष नहीं लौटा सकते, जो उसने 'ज़िंदा लाश' के रूप में बिताए हैं।"

इनसे तुम क्या समझते हो : दैहिक स्वतंत्रता; मानसिक चिकित्सालय; ज़िंदा लाश।

अपने शब्दों में लिखो : भोमा चरन के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हनन किस प्रकार हुआ?

संविधान की उद्देशिका में कहा गया है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि सभी नागरिकों को कुछ प्रकार की स्वतंत्रताएँ प्राप्त हों। स्वतंत्रता के मूल अधिकारों के बारे में पढ़ने के बाद, क्या तुम यह स्पष्ट कर सकते हो कि उद्देशिका में स्वतंत्रता से क्या आशय है?

अभ्यास

1. संविधान कैसे और कब लिखा गया?
2. पता करो कि संविधान 26 जनवरी 1950 के दिन क्यों लागू किया गया?
3. संविधान में मूल अधिकारों के अलावा और किन बातों की चर्चा की गई है?
4. मान लो, कोई व्यक्ति सड़क के एक भाग की ज़मीन का अतिक्रमण करके एक घर बना लेता है। क्या उस व्यक्ति का यह दावा ठीक है कि नगर निगम को उसका घर नष्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि हर कोई देश में कहीं भी बस सकता है?
5. मान लो सरकार ने गाँव में एक नया कुआँ खोदा है। अगर कुछ दलितों को कुएँ का उपयोग करने से रोका जाता है, तो किन मूल अधिकारों का हनन होगा?
6. यदि संविधान में समता का मूल अधिकार न होता, तो तुम्हारे जीवन पर क्या असर पड़ता?
7. कई साल पहले कुछ भारतीय विमान सेवाओं में यह नियम था कि यदि एयर होस्टेस (वे महिलाएँ जो हवाई जहाज़ में यात्रियों की ज़रूरतों की देखभाल करती हैं) विवाह कर लेंगी तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। क्या यह उनके मूल अधिकारों के खिलाफ था? स्पष्ट करो।
8. "समता का अधिकार" एवं "स्वतंत्रता का अधिकार" - इन दोनों में किन-किन बातों का वर्णन किया गया है? तालिका बनाकर समझाओ।

अध्याय 2

संविधान और मूल अधिकार व कर्त्तव्य

(भाग - 2)

3. "शोषण के विरुद्ध अधिकार"

बेगार और उसी तरह के अन्य बलात्श्रम निषिद्ध हैं

तुमने कई जगह पढ़ा या सुना होगा कि कुछ लोगों को बेगार करने के लिए, अर्थात बिना मज़दूरी के काम करने के लिए, बाध्य किया जाता है। यदि कोई ज़मींदार या ठेकेदार आज किसी व्यक्ति को बिना वेतन के या कम वेतन पर काम करने के लिए मजबूर करता है तो यह शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार का उल्लंघन होगा। ऐसा व्यक्ति अदालत में मुकदमा दायर कर सकता है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को बंधुआ मज़दूर के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है तो यह भी शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार का उल्लंघन है।

उदाहरण के लिए, मान लो किसी मज़दूरिन ने गाँव में किसी साहूकार से कर्ज़ लिया है और वह उसे वापस नहीं कर पाती। यदि साहूकार उसे अपने खेतों में काम करने के लिए बाध्य करता है जिससे कि वह इस काम के ज़रिए कर्ज़ चुका सके तो इसे बंधुआ मज़दूरी कहा जाएगा।

एशियाड स्टेडियम

बंधुआ मज़दूरी शोषण के विरुद्ध हमारे अधिकार का उल्लंघन है क्योंकि इस में कामगारों को ज़मींदारों या ठेकेदारों के अधीन काम करने के लिए मजबूर किया जाता है।

1982 में दिल्ली में एशियाई खेल हुए। एक ठेकेदार स्टेडियम और अन्य सुविधाओं का निर्माण करने के लिए बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से मज़दूर लाया। उसने उन्हें बहुत कम मज़दूरी पर काम करने के लिए बाध्य किया। तब कुछ लोगों ने उच्चतम न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया कि यह शोषण के विरुद्ध लोगों के मूल अधिकार का उल्लंघन है। यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का भी उल्लंघन है।

इस मामले में आदेश देते समय उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि यदि किसी को गरीबी के कारण कम मज़दूरी पर काम करने के लिए बाध्य किया जाता है, तो इसे शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार का उल्लंघन माना

जाएगा। इस प्रकार यह सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वह यह देखे कि किसी को कम मज़दूरी पर या बंधुआ मज़दूर के रूप में काम करने के लिए बाध्य न किया जाए। अगर सरकार ऐसा करने में असफल होती है, तो मज़दूरों को मालिकों के खिलाफ मुकदमा दायर करने का अधिकार है।

छत्तीसगढ़, बिहार व उत्तर प्रदेश में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहाँ बंधुआ मज़दूर पाए गए और उन्हें इस बंधन से मुक्त किया गया। ये मुकदमे शोषण के विरुद्ध अधिकार के संदर्भ में लड़े गए और उनमें मज़दूरों को जीत हासिल हुई। ऐसे ही एक आदेश में 1980 में उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश की तत्कालीन सरकार को निर्देश दिया कि वह करीब 700 मज़दूरों का पुनर्वास करने की व्यवस्था करे। यह आदेश दिया गया कि हर मज़दूर को 4000 रुपए मुआवज़ा दिया जाए।

क्या तुम बता सकते हो कि लोग बंधुआ मज़दूर क्यों बनते हैं?

शहर में या खेती का काम करने वाले मज़दूर की न्यूनतम मज़दूरी क्या है?

अपने शिक्षक या किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से श्रम कार्यालय से पता लगाओ - 'गरीबी के कारण कम मज़दूरी में काम करने के लिए बाध्य किए जाने' और 'बेगार' के बीच क्या अंतर है?

कारखानों में बच्चों को काम पर लगाने का निषेध

संविधान में कहा गया है कि ''चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खदान'' में काम करने के लिए नहीं लगाया जाएगा या अन्य खतरनाक धन्धों में नहीं रखा जाएगा। इसके अनुसार, ऐसे कानून बनाए गए हैं जो बच्चों के द्वारा पटाखे, बीड़ी, गलीचा, छपाई और रंगाई आदि का काम किए जाने का निषेध करते हैं।

क्या तुम्हारे इलाके के गाँवों और शहरों के बच्चों को यह अधिकार उपलब्ध है?

संविधान की उद्देशिका का कौन-सा सिद्धान्त शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार का उल्लेख करता है?

4. ''धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार''

सभी व्यक्ति अपने अन्तःकरण का पालन करने और किसी भी धर्म को मानने या न मानने के लिए स्वतंत्र हैं। किसी को भी अपने धर्म का पालन करने की मनाही नहीं होगी। इसका यह भी मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपना धर्म बदलने का निर्णय ले सकता है।

लेकिन धर्म की स्वतंत्रता का पालन करते समय कई बंधनों को मानना पड़ता है। उदाहरण के लिए, कुछ समुदायों में बच्ची का जन्म होते ही उसे मार डालने का रिवाज़ है। मान लो कोई कहे कि उन्होंने बच्ची को इसलिए मार डाला कि यह उनके धार्मिक रिवाज़ का हिस्सा है तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। धर्म के नाम पर बाल-हत्या जैसा अपराध नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार, धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर सती प्रथा का पालन नहीं किया जा सकता।

ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि कोई भी सरकारी कार्यालय, स्कूल या संस्था कोई खास धार्मिक रिवाज़ नहीं अपना सकती। कानून के अनुसार ईश्वर की पूजा, नमाज़ पढ़ना, भजन या गुरुवाणी गाना सरकारी स्कूलों और संस्थाओं में मना है। सरकार का कोई धर्म नहीं होता। उसे सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। संविधान की उद्देशिका में शामिल किए गए ''पंथनिरपेक्ष'' शब्द का यही मतलब है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में धार्मिक रिवाज़ों का पालन किया जा सकता है। किन्तु ऐसी शालाओं में भी, किसी को भी उसकी खुद की या उसके माता-पिता की सहमति के बिना धार्मिक शिक्षा में भाग लेने या धार्मिक पूजा में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

सती प्रथा को मूल अधिकार का उल्लंघन क्यों माना जाना चाहिए?

क्या लोगों के लिए यह ज़रूरी है कि वे अपने माता-पिता के धर्म का पालन करें?

सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा पर बंधन क्यों है?

5. "संस्कृति और शिक्षा सम्बंधी अधिकार"

संविधान में कहा गया है कि सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म के आधार पर हों या भाषा के आधार पर, "अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना" करने और चलाने का अधिकार है।

अल्पसंख्यक समूहों को आमतौर पर भाषा और धर्म के आधार पर तय किया जाता है। कोई अल्पसंख्यक हैं या नहीं, यह इस पर निर्भर करता है कि वे कहाँ रहते हैं। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले लोग अल्पसंख्यक नहीं माने जाएँगे, लेकिन पश्चिम बंगाल में वे अल्पसंख्यक माने जाएँगे।

अल्पसंख्यक समूहों को अपनी संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए संस्थाएँ स्थापित करने और उन्हें चलाने की स्वतंत्रता है। उदाहरण के लिए, यदि कन्नड़ भाषी लोग अपनी संस्कृति और भाषा के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश में कन्नड़ माध्यम का स्कूल चलाना चाहें, तो उन्हें ऐसा करने से रोका नहीं जा सकता।

अगर ऐसी संस्थाएँ अनुदान व मान्यता के लिए ज़रूरी शर्तें पूरी करती हैं तो सरकार उन्हें अनुदान व मान्यता देती है।

6. "सांविधानिक उपचारों का अधिकार"

यदि लोगों के मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो उन्हें उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में जाने का मूल अधिकार है। सरकार की यह ज़िम्मेदारी है कि वह लोगों के मूल अधिकारों का उल्लंघन न होने दे। यदि सरकार ऐसा करने में असफल होती है तो सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया जा सकता है। जब ऐसे अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो अदालत के विशेष निर्देशों या आदेशों के द्वारा उन्हें फिर से प्राप्त किया जा सकता है।

यदि लोगों के किसी समूह के अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो हर प्रभावित व्यक्ति को अलग से मुकदमा दायर करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति या संस्था लोगों के इस समूह की तरफ से सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकती है। इस प्रकार के मुकदमे को **जनहित याचिका या लोकहित के मुकदमे** कहा जाता है।

जनहित याचिका का एक उदाहरण

मान लो कि सरकार किसी नदी पर एक बाँध बनाने का निर्णय करती है और मान लो यदि बाँध बना तो करीब पचास हज़ार लोगों के खेत या घर डूब जाएँगे। उनकी भूमि और आजीविका चली जाएगी। उनकी जीवन प्रणाली पर गम्भीर असर होगा। यह उन लोगों के जीवन की स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का, देश के किसी भी भाग में बसने की स्वतंत्रता का और अपनी रुचि का कोई धन्धा अपनाने की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में इन लोगों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दायर किया जा सकता है। पचास हज़ार लोगों की तरफ से एक ही मुकदमा दायर किया जा सकता है।

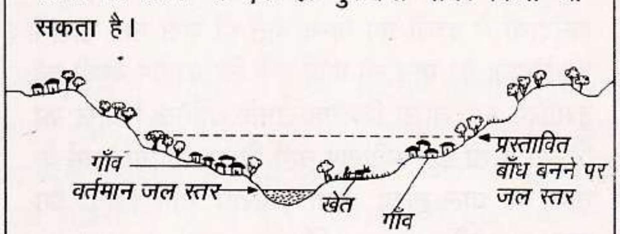

मूल कर्त्तव्य

संविधान की उद्‌देशिका में न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व जैसे आदर्शों को माना गया है। इन आदर्शों को प्राप्त करने के लिए संविधान में मूल अधिकारों और मूल कर्त्तव्यों को शामिल किया गया है।

जिस प्रकार हमारे अधिकार हैं वैसे ही हमारे कर्त्तव्य भी हैं। हमारे आसपास रहने वाले लोगों के प्रति हमारी ये ज़िम्मेदारियाँ हैं।

आओ, हम नागरिकों की ज़िम्मेदारियों और अपेक्षाओं की चर्चा करें, जो कि संविधान के मूल कर्त्तव्यों वाले खण्ड में दी गई हैं।

"भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह -"

1) **"संविधान का पालन करे..."**

संविधान के नियमों का पालन करना एवं राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का आदर करना हमारा मूल कर्त्तव्य है।

भारत के ध्वज में कौन से रंगों का उपयोग किया जाता है? ध्वज का चित्र बनाओ और उसमें रंग भरो।

2) **उन श्रेष्ठ आदर्शों की रक्षा करे और उनका पालन करे जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में हमें प्रेरणा दी थी...**

हमारे देश में ब्रिटिश शासन के खिलाफ लाखों भारतीयों ने संघर्ष किया था। इन स्वतंत्रता सेनानियों ने अनेक श्रेष्ठ आदर्शों का पालन किया, जैसे सत्य के लिए संघर्ष, सामान्य और गरीब लोगों के कल्याण और भले के लिए आवाज़ उठाना, अन्याय का विरोध करना, आदि। ऐसे आदर्शों का पालन करना हमारा कर्त्तव्य है। **'फिर सुबह होगी'** (1958) नामक फिल्म के एक गीत की ये पंक्तियाँ हमें स्वतंत्रता आन्दोलन के आदर्शों का पालन करने की प्रेरणा देती हैं:

उम्मीद

वो सुबह कभी तो आएगी
इन काली सदियों के सर से
जब रात का आँचल ढलकेगा
जब दुख के बादल पिघलेंगे
जब सुख का सागर छलकेगा
जब अम्बर झूम के नाचेगा
जब धरती नगमे गाएगी
वो सुबह कभी तो आएगी

बीतेंगे कभी तो दिन आखिर
ये भूख के और बेकारी के
टूटेंगे कभी तो बुत आखिर
दौलत की इज़ारेदारी के
जब एक अनोखी दुनिया की
बुनियाद उठाई जाएगी
वो सुबह कभी तो आएगी...

-साहिर

3) भारत की एकता और प्रभुसत्ता बनाए रखे

यह देखना हमारा कर्त्तव्य है कि भारत एक देश के रूप में संगठित रहे। हमें भारत को विदेशी शासन से मुक्त रखना चाहिए।

4) **"देश की रक्षा करे..."**

5) **विभिन्न भाषाओं और धर्मों के लोगों के बीच शांति और सद्भाव स्थापित करे और "ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं"**

आज साम्प्रदायिक सद्भाव की बहुत ज़रूरत है। पिछले कुछ सालों में कई स्थानों पर विभिन्न समुदायों के बीच दंगे हुए हैं। हमारा कर्त्तव्य है कि हम ऐसी अफवाहों और ऐसे हालातों को बढ़ने से रोकें जो ऐसे दंगों को जन्म देते हैं।

यह हमारी ज़िम्मेदारी है कि महिलाओं का अपमान होने पर हम विरोध करें। दहेज प्रथा और महिलाओं पर अत्याचार का विरोध करें। यह देखना ज़रूरी है कि जो लोग इन कामों को प्रोत्साहित करते हैं उन्हें कानून के सामने लाया जाए।

चर्चा करोः लड़कों और लड़कियों, दोनों पर ही दहेज प्रथा अपनाने का दबाव क्यों पड़ता है? इन दबावों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है?

दिल्ली में दहेज के विरोध में एक धरना

रवीन्द्रनाथ ठाकुर की कृति - पेड़

6) "प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे..."

यह हमारा कर्त्तव्य है कि हम देखें कि हमारी नदियों, झीलों, जंगलों इत्यादि में प्रदूषण न हो और वे नष्ट न हों। इस प्रकार यदि कोई कारखाना किसी नदी को प्रदूषित करता है या कोई बाँध पर्यावरण या वन का विनाश करता है तो यह हमारा कर्त्तव्य है कि इसे रोकने के लिए हम कुछ करें। सरकार का भी यह कर्त्तव्य है कि वह इन ज़िम्मेदारियों को पूरा करे। उदाहरण के लिए सरकार के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया गया था क्योंकि एक इलाके में खदानों में खुदाई के कारण पर्यावरण को नुकसान पहुँच रहा था, वनों का विनाश हो रहा था और ज़मीन का कटाव हो रहा था। अदालत ने सरकार को आदेश दिया कि वह खदानें बन्द करे।

7) **"हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझे" और उसे सुरक्षित रखे**

संगीत की परम्पराओं में कई संस्कृतियों का प्रभाव दिखता है

8) **"वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें"**

जिन लोगों में वैज्ञानिक सोच होगी उनमें अपने आसपास की दुनिया के बारे में जिज्ञासा होगी। वे सवाल पूछेंगे, जवाब ढूँढेंगे तथा अवलोकन, बारीक परीक्षण एवं आलोचनात्मक विश्लेषण के द्वारा निष्कर्षों तक पहुँचेंगे। मानववादी होने के नाते हम मानवीय कल्याण व मानवीय आवश्यकताओं के प्रति चिन्तित होंगे। ऐसा नज़रिया अपनाने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करने के लिए संविधान लोगों को प्रोत्साहित करता है।

उदाहरण के लिए, कुछ साल पहले बारिश के मौसम में लोगों ने कई वनस्पतियों के पत्तों में कुछ रेखाएँ देखीं। कुछ लोगों ने यह बात फैला दी की वनस्पतियों को श्राप लग गया है और कई लोगों ने उन्हें खाना बंद कर दिया। लेकिन मध्य प्रदेश के धार शहर की कुछ छात्राओं ने सवाल उठाया कि क्या यह सच हो सकता है। उल्लेखनीय वैज्ञानिक सोच का परिचय देते हुए उन्होंने कुछ पत्तों को सुई से कुरेदकर देखा। उन्होंने पाया कि एक प्रकार के कीड़े पत्तों में सुरंग बनाकर उन्हें अन्दर ही अन्दर खा रहे हैं। उन्होंने अपने मित्रों और रिश्तेदारों को बताया कि वनस्पतियों में बनी ये रेखाएँ वास्तव में कीड़ों द्वारा बनाई गई सुरंगें हैं।

9) **"सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखे..."**

यह देखना हमारी ज़िम्मेदारी है कि सभी सार्वजनिक सम्पत्तियों, जैसे कुओं, हैण्डपम्पों, रेलगाड़ियों, मोटर बसों या अस्पतालों की ठीक से देखभाल हो और उन्हें नुकसान न पहुँचे। उनके उपयोग में की जा रही लापरवाही को रोकना हमारा बुनियादी कर्त्तव्य है। उदाहरण के लिए, लोग हैण्डपम्प का उपयोग बहुत लापरवाही से करते हैं। वे उसके हत्थे को बहुत ज़ोर से पटकते हैं। बार-बार ऐसा करने से हैण्डपम्प के तले में दरारें पड़ जाती हैं और वह खराब हो जाता है। यह हमारा मूल कर्त्तव्य है कि हम इस तरह की लापरवाही को रोकें।

10) **सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठता हासिल करने की कोशिश करे...**

लोगों को सभी क्षेत्रों - कृषि, उद्योग, शिक्षा, विज्ञान और खेलकूद में श्रेष्ठता हासिल करने के लिए काम करना चाहिए। इससे हमारे देश का सभी क्षेत्रों में विकास हो सकेगा।

11) **अपने बच्चों को पढ़ाए...**

यह माता-पिता की ज़िम्मेदारी है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके बच्चे शिक्षा पाएँ जिससे वे श्रेष्ठ ढंग से अपनी क्षमताएँ विकसित कर सकें।

स्कूल के लिए तैयार तीन बच्चे

मूल अधिकारों और कर्त्तव्यों में फर्क है। यदि किसी मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो कोई भी व्यक्ति उसे हासिल करने के लिए अदालत जा सकता है। लेकिन मूल कर्त्तव्यों को लागू करने के लिए किसी को भी बाध्य नहीं किया जा सकता। यदि कोई अपना मूल कर्त्तव्य नहीं निभाता है तो हम अदालत नहीं जा सकते। लेकिन दहेज विरोधी कानून जैसे कई कानून हैं जो मूल कर्त्तव्यों का पालन सुनिश्चित करते हैं।

अभ्यास

1. इस अध्याय को और पिछले अध्याय को पढ़ो। संविधान में दिए गए छह प्रकार के मूल अधिकारों की सूची बनाओ।
2. क्या नीचे लिखी किसी बात में तुम्हारे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है? यदि हाँ, तो किस मूल अधिकार या अधिकारों का? अपने सहपाठियों से चर्चा करो।
   - क) मान लो, बिना यह बताए कि तुमने कौन-सा अपराध किया है, तुम्हें चार दिन तक पुलिस थाने में रखा जाता है।
   - ख) मान लो, तुम्हारा पड़ोसी यह दावा करता है कि तुम्हारी कुछ ज़मीन उसकी है।
   - ग) तुम्हारे माता-पिता तुम्हें स्कूल नहीं जाने देते। इसके बदले वे एक माचिस के कारखाने में तुम्हें काम पर लगा देते हैं, क्योंकि वे तुम्हें ठीक से पाल-पोस नहीं सकते।
   - घ) मान लो, तुम्हारा भाई वह ज़मीन तुम्हें देने से इंकार करता है जो तुम्हें अपने पिता से विरासत में मिलनी चाहिए।
   - च) मान लो, तुम अपनी किसी मित्र के यहाँ गई हो और वह नाराज़ होकर तुम्हें चले जाने को कहती है।
   - छ) मान लो, तुम धर्म में विश्वास नहीं करती हो और तुम्हें अपने स्कूल की सभा में प्रार्थना करने के लिए बाध्य किया जाता है, जबकि तुम्हारे माता-पिता ने तुम्हारे स्कूल के प्राचार्य को पहले ही बता दिया था कि वे नहीं चाहते कि तुम प्रार्थना करो।
3. मान लो, तुम एक वकील हो। कुछ लोगों का समूह तुम्हारे पास नीचे लिखा आग्रह लेकर आता है, तो तुम इस मामले की पैरवी कैसे करोगी?

   "हमारे इलाके में जो नदी है वह ऊपर की तरफ बने कारखानों से प्रदूषित हो रही है। इस नदी से ही हमें पीने का पानी मिलता है। प्रदूषित पानी के कारण हमारे गाँव के लोग बीमार हो रहे हैं। हमने सरकार को शिकायत की लेकिन सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही। यह हमारे मूल अधिकारों का निश्चित रूप से उल्लंघन है।"
4. जनहित याचिका किस प्रकार और कब दायर की जा सकती है? जनहित याचिका कौन दायर कर सकता है? किसके विरुद्ध ऐसा मामला दायर किया जा सकता है?
5. मेघा के पिता ने उससे कहा कि यदि वह कैंसर से पीड़ित अपनी सहपाठी अनिशा से मिलने जाएगी तो उसे कैंसर हो जाएगा। प्रवीण को पता था कि कैंसर छूत की बीमारी नहीं है। उसने मेघा के पिता की बात सुन ली पर वह खामोश रही। मेघा ने अपने पिता से पूछा, "क्या यह सच है कि कैंसर छूत से हो जाता है?" मोनिका ने प्रवीण से कहा कि मेघा को अपने पिता की बात पर विश्वास करना चाहिए। कौन अपने मूल कर्त्तव्य का सबसे अच्छा पालन कर रहा है - प्रवीण, मेघा या मोनिका? स्पष्ट करो।
6. मान लो किसी धार्मिक समुदाय के लोगों को कोई यह कहता है कि उन्हें बाज़ार की कुछ खास दुकानों में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वे दूसरे धर्म वालों की हैं। यह व्यक्ति कौन से मूल कर्त्तव्य का उल्लंघन कर रहा है?
7. कई स्थानों में हो रहे साम्प्रदायिक दंगों के डर से एक गाँव की महिलाओं का एक समूह पुलिस थाने में गया। वे एक लिखित शिकायत दायर करवाना चाहती थीं और रहने के लिए सुरक्षित जगह या पुलिस की हिफाज़त चाहती थीं। वे एक धार्मिक समुदाय की थीं और थानेदार दूसरे धार्मिक समुदाय का था। उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज़ नहीं की। पुलिस ने उनको सुरक्षा भी नहीं दी। दूसरे दिन भीड़ ने इन महिलाओं के घरों को जला दिया। चर्चा करो कि इस मामले में किन मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।
8. पृष्ठ 15-17 में दिए गए मूल कर्त्तव्यों को चित्रों और कविताओं से दर्शाया गया है। मूल कर्त्तव्यों को दर्शाने और उनका उदाहरण देने के लिए और भी चित्र, कविताएँ, गीत ढूँढो, बनाओ या लिखो।

बीतेंगे कभी तो दिन आखिर
ये भूख के और बेकारी के
टूटेंगे कभी तो बुत आखिर
दौलत की इजारेदारी के
जब एक अनोखी दुनिया की
बुनियाद उठाई जाएगी
वो सुबह कभी तो आएगी...

- साहिर

ISBN 81-87171-61-8

मूल्य 16.00 रुपए